दयानन्द वैदिक कॉलेज

उरई (जालौन), उत्तर प्रदेश - 285001

(सम्बद्ध बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी उ० प्र०)

फोन नं०: 05162-252214 ईमेल: dvcoffice11@gmail.com वेबसाइट: www.dvcorai.ac.in

प्रवेश सम्बन्धी नियम

बी.ए./बी.एससी./एम.ए./एम.एससी. के लिए प्रवेश प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कॉलेज में विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। सभी छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित नियमों और विनियमों का पालन करना होगा:

1. महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया कंप्यूटरीकृत है, अतः प्रवेश फार्म सावधानी से भरे।
2. अपने विषयों का चयन सावधानीपूर्वक करें। केवल विशेष परिस्थिति में ही विषय परिवर्तन किया जाएगा जिसके लिए प्राचार्य की लिखित अनुमति एवं निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
3. बी.ए./बी.एस. सी/ एम.ए./एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर (B.A./B.Sc./ M.A./M.Sc. First Semester) में प्रवेश हेतु मेरिट सूची की पद्धति विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई है। मेरिट सूची पूर्णतः पारदर्शी एवं आरक्षण के नियमों से युक्त होगी।
4. प्रवेश के समय आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है:
    - हाईस्कूल मार्कशीट की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी
    - इंटरमीडिएट मार्कशीट की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी
    - चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति
    - स्थानांतरण प्रमाणपत्र की मूल प्रति
    - जाति प्रमाण पत्र (ओबीसी/एससी/एसटी)

    प्रवेश के समय छात्र को सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां लानी अनिवार्य होंगी।
5. प्रवेश के दिन आवेदक को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
    - आवेदक अपने सभी मूल प्रमाण-पत्रों और एक रंगीन फोटोग्राफ के साथ प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होंगे (किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लाया गया प्रवेश फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा)।
    - प्रवेश समिति की लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात आवेदक अपना आवेदन-पत्र संबंधित कक्षा के शुल्क लिपिक के पास ले जाएगा और उसके साथ संलग्न बैंक चालान फार्म पर शुल्क लिपिक के हस्ताक्षर करवाएगा। ध्यान रहे कि बैंक चालान फार्म पर शुल्क की राशि शुल्क लिपिक द्वारा ही भरी जाएगी, आवेदक को स्वयं शुल्क राशि नहीं भरनी होगी।
    - तत्पश्चात आवेदक हस्ताक्षरित बैंक चालान फार्म को इंडियन बैंक में ले जाकर निर्धारित शुल्क जमा करवाना होगा। अंत में आवेदक को निर्धारित काउंटर से पहचान-पत्र जारी किया जाएगा।
6. प्रवेश के लिए कुल 27% सीटें पिछड़े वर्ग के लिए, 21% अनुसूचित जाति के लिए, 2% अनुसूचित जनजाति के लिए और 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित होंगी। जो छात्र इन आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपना जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

7. परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
8. एम.एस.सी. (M.Sc.) के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा और काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित की जाती है।
9. यदि छात्र एक बार किसी विषय में एम.ए./एम.एस.सी. (M.A./M.Sc.) रेगुलर मोड में पूर्ण कर लेता है, तो दोबारा उसे किसी अन्य विषय में एम.ए./एम.एस.सी. (M.A./M.Sc.) रेगुलर मोड में करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रवेश के बाद छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यक निर्देश

1. प्रत्येक छात्र/छात्रा को कॉलेज परिसर में अपने साथ परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा।
2. प्रत्येक छात्र/छात्रा को कॉलेज परिसर में यूनीफॉर्म में आना अनिवार्य होगा।
3. सभी छात्र/छात्राओं के लिए सैद्धांतिक और प्रायोगिक कक्षाओं में न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
4. छात्र/छात्राओं द्वारा किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
5. कॉलेज की संपत्ति को नुकसान पहुंचना दंडनीय अपराध माना जाएगा।
6. कॉलेज परिसर में प्लास्टिक का उपयोग पूर्णतया प्रतिबंधित है।
7. कोई भी वस्तु खो जाने या मिलने पर तुरंत कार्यालय को सूचित किया जाए।
8. कॉलेज परिसर में धूम्रपान, तंबाकू चबाना/थूकना और शराब पीना पूर्णतया प्रतिबंधित है। यह एक दंडनीय अपराध है।
9. परिसर में छात्र/छात्राओं को किसी भी तरह के राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।
10. प्रत्येक छात्र/छात्रा को रैगिंग के विरुद्ध एक शपथ पत्र भरना होगा। इसके अलावा परिसर में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार जैसे छेड़-छाड़ करना, डराना-धमकाना, परेशान करना, अपशब्दों का प्रयोग करना आदि दंडनीय अपराध माना जाएगा।
11. कक्षा के अंदर मोबाइल फोन का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है।

Principal
Dayanand Vedic College
Orai (U.P.) 285001

Prof. (Dr.) Rajesh Chandra Pandey
(Principal)
Dayanand Vedic College, Orai